

वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रतिवादी सं. 3 से 9 की तलवी बार-बार अवसर दिये जाने के बाद भी नहीं कराई गई है। प्रतीत होता है कि वादी अपने दावा में कोई रूचि नहीं ले रहा है। अतः दावा वादी 0-9.R.5CPC के तहत अपालना में खारिज किया जाता है। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।



सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official